गोपनीय

2024 का विधेयक सं. 5

राजस्थान वित्त विधेयक, 2024

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2024 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 4, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17 और 18 के उपबंध, उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2
राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

3. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में विद्यमान खण्ड (xxxvi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(xxxvi) "स्टाम्प" से इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी एजेन्सी या व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रोनिक रूप से या अन्यथा बनाया गया कोई चिह्न, मुहर या पृष्ठांकन अभिप्रेत है और इसमें कोई आसंजक या छापित स्टाम्प सम्मिलित है;"।

4. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 3 में, विद्यमान उपबंध "इस अधिनियम के उपबंधों और अनुसूची में अंतर्विष्ट छूटों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित लिखतें ऐसी रकम के शुल्क से प्रभार्य होंगी जो उस अनुसूची में क्रमश: उनके लिए उचित शुल्क के रूप में उपदर्शित की गयी हैं, अर्थात्,-

(क) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित की गयी न होते हुए, उस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् निष्पादित की गयी है;

(ख) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित नहीं

की गयी है, उक्त तारीख को या उसके पश्चात् राज्य के बाहर निष्पादित की जाती है, राज्य में किये गये या किये जाने वाले किसी मामले या बात से संबंधित है और राज्य में प्राप्त की जाती है, या राज्य में स्थित किसी संपत्ति से संबंधित है:", के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) इस अधिनियम के उपबंधों और अनुसूची में अंतर्विष्ट छूटों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित लिखतें ऐसी रकम के शुल्क से प्रभार्य होंगी जो उस अनुसूची में क्रमशः उनके लिए उचित स्टाम्प शुल्क के रूप में उपदर्शित की गयी हैं, अर्थात्,-

(क) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित नहीं की गयी है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् राज्य में निष्पादित की गयी है;

(ख) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित नहीं की गयी है, उक्त तारीख को या उसके पश्चात् राज्य के बाहर निष्पादित की जाती है, राज्य में किये गये या किये जाने वाले किसी मामले या बात से संबंधित है और राज्य में प्राप्त की जाती है, या राज्य में अवस्थित किसी संपत्ति से संबंधित है।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी दशा में जब बीमाकृत व्यक्ति राजस्थान राज्य में निवास करता हो, या, यथास्थिति, बीमाकृत सम्पत्ति राजस्थान राज्य में स्थित हो, तो बीमा की लिखत पर संदेय स्टाम्प शुल्क राजस्थान राज्य में प्रभार्य होगा:"।

5. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 30 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 30 में विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, स्थावर सम्पति संबंधी लिखतों की दशा में, जिनका बाजार मूल्य स्टाम्प शुल्क की गणना करने के प्रयोजन के लिए अवधारित किया जाना अपेक्षित है, लिखत में वे समस्त विशिष्टियां, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायें, पूर्णतः और सही प्रकार से उपवर्णित की जायेंगी।"।

6. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 के परंतुक के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, की" हटायी जायेगी।

7. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 44 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो" हटायी जायेगी।

8. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 52-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 52-ख की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "या तो गलत है या" हटायी जायेगी।

9. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 58 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 58 के खण्ड (घ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उसके किसी पक्षकार द्वारा निष्पादित किसी ऐसी लिखत के लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उसके किसी पक्षकार या

पक्षकारों द्वारा निष्पादित किसी ऐसी लिखत के लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(i) अनुच्छेद 1 में,-

(क) स्तम्भ संख्यांक 1 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी ऋण की रकम या मूल्य में बीस रुपये से अधिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "किसी ऋण की रकम या मूल्य में दस हजार रुपये से अधिक" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) अनुच्छेद 2 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "बंधपत्र के मूल्य का दो प्रतिशत।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) अनुच्छेद 5 में,-

(क) खण्ड (क) में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (ख) में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दो सौ रुपये अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, प्रतिभूति या शेयर के मूल्य के प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिए दस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) खण्ड (ङ) के द्वितीय परन्तुक में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "अनुच्छेद 44 के खण्ड (ङङ)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुच्छेद 44 के खण्ड (च)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(घ) खण्ड (चच) के उप-खण्ड (i) में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "न्यूनतम 100 रुपये के अध्यधीन रहते हुए, संविदा में करार की गई प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग की रकम पर दो रुपये पचास पैसे।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "न्यूनतम 100 रुपये के अध्यधीन रहते हुए, संविदा में करार की गई रकम का 0.25 प्रतिशत।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ङ) खण्ड (चच) के उप-खण्ड (ii) में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "संविदा में करार की गई रकम पर प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग पर पांच रुपये ।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संविदा में करार की गई रकम का 0.5 प्रतिशत।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) विद्यमान अनुच्छेद 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" 8. **आंकना या मूल्यांकन** जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश के अधीन न किया जाकर अन्यथा किया गया है।	तीन सौ रुपये।

;"

(v) अनुच्छेद 9 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "चालीस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(vi) विद्यमान अनुच्छेद 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

13. **पंचाट** अर्थात् वाद अनुक्रम में न्यायालय के आदेश से अन्यथा किये गये किसी निर्देश में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चय जो विभाजन का निर्देश देने वाला पंचाट नहीं है:	
(क) यदि संपत्ति, जो पंचाट की विषय-वस्तु है, स्थावर संपत्ति है;	वही शुल्क, जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल पर, जो भी अधिक हो, हस्तांतरण पत्र [सं. 21 (i)] पर लगता है।
(ख) यदि संपत्ति, जो पंचाट की विषय-वस्तु है, जंगम संपत्ति है।	ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल पर, जो भी अधिक हो, 0.5 प्रतिशत।

;"

(vii) अनुच्छेद 15 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "वही शुल्क जो उतनी रकम के बन्धपत्र (सं. 14) पर लगता है।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(viii) विद्यमान अनुच्छेद 16 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

16. **लिखतों का रद्दकरण-**	
(क) पूर्व में निष्पादित किसी लिखत का रद्दकरण जिस पर अनुसूची के किसी अनुच्छेद के अनुसार स्टाम्प शुल्क संदत्त किया गया है और अनुसूची द्वारा उसके लिए विनिर्दिष्टतः अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है-	

(i) यदि एक मास के भीतर निष्पादित किया जाता है	एक हजार रुपये।
(ii) यदि एक मास के पश्चात् निष्पादित किया जाता है	वही शुल्क जो मूल लिखत पर लगता है, यदि ऐसे रद्दकरण का प्रभाव मूल लिखत द्वारा पहले से हस्तांतरित संपत्ति का पुनः हस्तांतरण हो: परंतु यदि मूल लिखत, विक्रय पर हस्तांतरण है, तो ऐसी रद्दकरण लिखत पर संदेय स्टाम्प शुल्क, अनुच्छेद 21 (i) के अनुसार ऐसे रद्दकरण के निष्पादन की तारीख पर संपत्ति के बाजार मूल्य पर लगेगा।
(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित अन्य प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगमित निकाय द्वारा या इनके निमित्त निष्पादित किसी लिखत का रद्दकरण;	एक सौ रुपये।
(ग) किसी अन्य मामले में।	पांच सौ रुपये।

;"

(ix) अनुच्छेद 19 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(x) अनुच्छेद 21 में,-

(क) खण्ड (iii) में स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "या रद्द" हटायी जायेगी;

(ख) विद्यमान खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

(iv) यदि वह अंतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) से संबंधित है-	
(क) जब भू-स्वामी के पक्ष में उसके द्वारा अभ्यर्पित भूमि के बदले में टीडीआर प्रमाणपत्र जारी किया जाता है	पांच सौ रुपये।
(ख) जब टीडीआर प्रमाणपत्र किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित किया जाता है।	संपत्ति के उस संबंधित भाग, जो हस्तांतरण विलेख की विषयवस्तु है और जिस पर अन्तरणीय विकास अधिकार सृजित हो रहे हैं, के बाजार मूल्य जो कि अन्तरणीय विकास अधिकार के बाजार मूल्य के बराबर है, का दो प्रतिशत या हस्तांतरण विलेख के प्रतिफल का दो प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

;"

(ग) इस प्रकार संशोधित खण्ड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खण्ड जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"

(v) अर्जक आस्तियों के संबंध में उधार का समनुदेशन।	उधार की रकम का 0.25 प्रतिशत।
(vi) अनर्जक आस्तियों के संबंध में उधार का समनुदेशन।	उधार की रकम का छह प्रतिशत।

;"

(xi) विद्यमान अनुच्छेद 22 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

22. **प्रति या उद्धरण**, जिसकी बाबत किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि यह सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है।	एक सौ रुपये।

;"

(xii) विद्यमान अनुच्छेद 23 के स्थान पर, निम्मिलखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

23. कोई लिखत, जो कि शुल्क से प्रभार्य है और जिसके संबंध में उचित शुल्क संदत्त कर दिया गया है, का **प्रतिलेख या दूसरी प्रति।**	एक सौ रुपये

;"

(xiii) अनुच्छेद 26 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xiv) अनुच्छेद 27 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xv) अनुच्छेद 35-क में,-

(क) विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

(ख) आयुध नियम, 2016 की अनुसूची 3 में यथा उपवर्णित निम्नलिखित प्ररूपों पर, आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति:-	
(i) प्ररूप 8	दस हजार रुपये
(ii) प्ररूप 8-क	पाँच हजार रुपये
(iii) प्ररूप 9	दस हजार रुपये
(iv) प्ररूप 9-क	पाँच हजार रुपये
(v) प्ररूप 14	पन्द्रह हजार रुपये

;"

(ख) विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

(घ) आयुध नियम, 2016 की अनुसूची 3 में यथा उपवर्णित निम्नलिखित प्ररूपों पर, आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति का नवीकरण:-	
(i) प्ररूप 8	तीन हजार रुपये
(ii) प्ररूप 8-क	दो हजार रुपये
(iii) प्ररूप 9	तीन हजार रुपये
(iv) प्ररूप 9-क	दो हजार रुपये
(v) प्ररूप 14	पाँच हजार रुपये

;"

(xvi) अनुच्छेद 37 के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

जब कोई संपार्श्विक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति है, या ऊपर वर्णित प्रयोजन के लिए और आश्वासन के रूप में जहां कि मूल या प्राथमिक प्रतिभूति सम्यक् रूप में स्टाम्पित है।	वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के बन्धपत्र (सं. 14) पर लगता है।

;"

(xvii) विद्यमान अनुच्छेद 38 हटाया जायेगा;

(xviii) विद्यमान अनुच्छेद 41 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

41. भूमि उपयोग परिवर्तन या संपरिवर्तन का आदेश-राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूमि उपयोग परिवर्तन) नियम, 2010 या राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अधीन या किन्हीं अन्य सुसंगत नियमों के अधीन जारी भूमि उपयोग परिवर्तन या संपरिवर्तन का आदेश।	पाँच हजार रुपये।

;"

(xix) विद्यमान अनुच्छेद 44 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

44. धारा 2 (xxx) में यथापरिभाषित **मुख्तारनामा** जो परोक्षी नहीं है,-	
(क) जब वह एक ही संव्यवहार से सम्बन्धित एक या अधिक दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण उपाप्त करने के एक-मात्र प्रयोजन के लिए या ऐसे एक या अधिक दस्तावेजों का निष्पादन [रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 16) की धारा 33 के अनुसार] स्वीकृत करने के लिए निष्पादित किया गया है;	प्रत्येक दस्तावेज के लिए पाँच सौ रुपये।
(ख) जब वह अटर्नी को किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय या अन्तरण करने के लिए प्राधिकृत करता है और इसे साधारणतया अप्रतिसंहरणीय या कतिपय कालावधि के लिए अप्रतिसंहरणीय बनाता है;	वही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम या सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, के हस्तान्तरण पत्र (सं. 21) पर लगता है।

(ग) जब वह अटर्नी को स्वयं के लाभ के लिए प्रतिफल को प्रतिधारित या उपयोग में लेने के लिए प्राधिकृत करते हुए, स्थावर सम्पत्ति में कोई हित या अधिकार सृजित करता है;	वही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम या सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, के हस्तान्तरण पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(घ) जब वह प्रतिफल के लिए दिया गया है और अटर्नी को किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय या अन्तरण करने के लिए प्राधिकृत करता है;	वही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम या सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, के लिए हस्तान्तरण पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(ङ) जब स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण या विक्रय करने के लिए मुख्तारनामा प्रतिफल के बिना निम्नलिखित को दिया जाता है-	
(i) निष्पादी के पिता, माता, भाई, बहिन, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, पौत्र या पौत्री;	दो हजार रुपये।
(ii) कोई भी अन्य व्यक्ति।	ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत, जो मुख्तारनामे की विषयवस्तु है: **परंतु** ऐसे मुख्तारनामे पर संदत्त स्टाम्प शुल्क ऐसे मुख्तारनामे के अनुसरण में हस्तांतरण पत्र के निष्पादन के समय बाद में हस्तांतरण पत्र पर प्रभार्य शुल्क की कुल रकम के प्रति समायोजित की जायेगी यदि ऐसा हस्तांतरण विलेख मुख्तारनामे की तारीख से तीन वर्ष के भीतर निष्पादित किया जाता है।
(च) जब कोई स्थावर सम्पत्ति उस पर सन्निर्माण या उसके विकास या उसके विक्रय या अन्तरण (जिस किसी भी रीति से हो) के लिए संप्रवर्तक या विकासकर्ता को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाये, दी जाये;	वही शुल्क जो सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है: **परन्तु** धारा 51 के उपबंध मुख्तारनामे की ऐसी लिखत पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन हस्तांतरण-पत्र पर लागू होते हैं: **परन्तु यह और कि** जब उन्हीं पक्षकारों के बीच और उसी सम्पत्ति के संबंध में किसी करार या करार के ज्ञापन पर

	अनुच्छेद 5 के खण्ड (ङ) के अधीन उचित स्टाम्प शुल्क संदत्त किया जाये तो इस खण्ड के अधीन प्रभार्य शुल्क एक सौ रुपये होगा।
(छ) जब किसी अन्य मामले में दिया जाये।	प्राधिकृत किये गये प्रत्येक व्यक्ति के लिए पाँच सौ रुपये।
भली भांति ध्यान दें: "रजिस्ट्रीकरण" पद के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक क्रिया आती है, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 16) के अधीन रजिस्ट्रीकरण से आनुषंगिक है। **स्पष्टीकरण:-** इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए एक से अधिक व्यक्तियों की बाबत, उस दशा में जिसमें कि वे एक ही फर्म, कम्पनी या किसी अन्य विधिक निकाय के हैं, यह समझा जायेगा कि वे एक ही व्यक्ति हैं।	

;"

(xx) अनुच्छेद 45 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xxi) अनुच्छेद 46 में, स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xxii) विद्यमान अनुच्छेद 47 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

47. बंधकित संपत्ति का प्रतिहस्तान्तरण।	पांच सौ रुपये।

;"

(xxiii) विद्यमान अनुच्छेद 50 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

50. **प्रतिभूति-बंधपत्र या बंधक विलेख,-** (i) किन्हीं पदीय कर्तव्यों के सम्यक निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया है या जो उसके आधार पर प्राप्त धन-राशि या अन्य संपत्ति का लेखा-जोखा देने के लिए निष्पादित किया गया है; या (ii) किसी संविदा के सम्यक् पालन या किसी दायित्व का सम्यक् निर्वहण सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रतिभू द्वारा निष्पादित किया	न्यूनतम एक हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, प्रतिभूत रकम का आधा (0.5) प्रतिशत।

<table>
<tr><td>

गया है; या

(iii) उधार या ऋण के संदाय की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्याभूति-दाता के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया है; या

(iv) उधार या ऋण के संदाय की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ प्रत्याभूति-दाता के रूप में किसी कम्पनी या निगमित निकाय द्वारा निष्पादित किया गया है।

</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">

छूटें: बंध पत्र या अन्य लिखत जब वह निष्पादित की जाये,-

(क) किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ किसी खैराती औषधालय या अस्पताल या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिये गये प्राईवेट चंदों से व्युत्पन्न स्थानीय आय प्रतिमास विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी;

(ख) ऐसे कृषकों द्वारा जिन्होंने सरकार से अग्रिम धन लिये हैं या उनके प्रतिभुओं द्वारा ऐसे अग्रिम धन के चुका दिये जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में;

(ग) सरकार के अधिकारियों द्वारा या उनके प्रतिभुओं द्वारा किसी पद के कर्त्तव्यों के सम्यक् निष्पादन को या उनके अपने पद के आधार पर प्राप्त धन राशि या अन्य सम्पति का सम्यक् रूप से लेखा देने को सुनिश्चित करने के लिए।

</td></tr>
</table>
;"

(xxiv) इस प्रकार संशोधित अनुच्छेद 50 के पश्चात् और विद्यमान अनुच्छेद 51 के पूर्व, निम्नलिखित नया अनुच्छेद अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

50-क. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 54) की धारा 7 की उप-धारा (1) और (2) के अधीन जारी की गयी **प्रतिभूति रसीदें।**	शुद्ध आस्ति मूल्य की रकम का 0.25 प्रतिशत।

;"

(xxv) अनुच्छेद 51 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम या संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य, जो प्रतिसंहरण लिखत में उपवर्णित हैं, के बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पाँच सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xxvi) अनुच्छेद 53 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xxvii) अनुच्छेद 54 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पाँच सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xxviii) अनुच्छेद 56 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ख) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "वही शुल्क जो रकम या संबंधित संपत्ति के मूल्य के बराबर राशि पर बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो साठ रुपये से अधिक नहीं होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पाँच सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xxix) अनुच्छेद 56 के खण्ड (ख) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "वही शुल्क जो रकम या संबंधित संपत्ति के मूल्य के बराबर राशि पर बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पाँच सौ रुपये।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xxx) अनुच्छेद 57 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शून्य।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 3
राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम,1962 में संशोधन

11. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 में, नयी धारा 8ख का अन्तःस्थापन.- राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की विद्यमान धारा 8क के पश्चात् और विद्यमान धारा 9 के पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा 8ख अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**8ख. कतिपय मामलों में विद्युत् शुल्क पर रिबेट.-** इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, चाहे भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से, ऐसे उपभोक्ताओं को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, विद्युत् शुल्क की पूरी रकम तक रिबेट अनुज्ञात कर सकेगी।"।

अध्याय 4
राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के विद्यमान खण्ड (61) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(61) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मददे, जिसमें धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन कर के लिए दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट

सुभिन्न व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से कर बीजक प्राप्त करता है और धारा 20 में उपबंधित रीति से ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए दायी है;"।

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति.-**(1) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मददे कर बीजक प्राप्त करता है, जिसमें धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन कर के लिए दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित है, धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए उनकी ओर से बीजक प्राप्त करता है, से धारा 24 के खण्ड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा और वह ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा।

(2) इनपुट सेवा वितरक, उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर राज्य कर प्रत्यय या प्रभारित एकीकृत कर का, जिसमें धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन, उसी राज्य में सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर उदग्रहण के अधीन सेवाओं के संबंध में राज्य या एकीकृत कर के प्रत्यय को उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत सम्मिलित करते हुए, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्बधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, वितरण करेगा।

(3) राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का, एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की रकम अन्तर्विष्ट हो, एक दस्तावेज जारी करके ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, वितरण करेगा।"।

14. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9, में नयी धारा 122क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 122 के पश्चात् और विद्यमान धारा 123 के पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**122क. माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनों को विशेष प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रीकृत करने में असफलता के लिए शास्ति.-** (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है, जिसके संबंध में धारा 148 के अधीन मशीनों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कोई विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गयी है, उक्त विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य करता है, तो वह किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त, जो अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदत्त की गयी है या संदेय है, प्रत्येक ऐसी मशीन के लिए, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, एक लाख रूपये की रकम के बराबर किसी शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) प्रत्येक ऐसी मशीन, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उप-धारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी:

परंतु ऐसी मशीन का अधिहरण नहीं किया जायेगा, जहां-

(क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का संदाय कर दिया गया है; और

(ख) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण, शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति से तीन दिवस के भीतर, विशेष प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।"।

अध्याय 5
राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

15. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट व्यवहारी या वह व्यवहारी या व्यवहारियों का वर्ग जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, से भिन्न कोई व्यवहारी, जो माल का क्रय राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से करता है और ऐसे माल या ऐसे माल से विनिर्मित माल का विक्रय राज्य के भीतर करता है, धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन यथा-अधिसूचित दर से कर के संदाय का विकल्प इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए दे सकेगा कि ऐसे व्यवहारी का वार्षिक पण्यावर्त-

(i) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) मे विनिर्दिष्ट व्यवहारी के मामले में पचास लाख रुपये; और

(ii) अन्य व्यवहारियों के मामले में पचहत्तर लाख रुपये,

से अधिक न हो।"।

16. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "और अनुसूची-3 से अनुसूची-6 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के कराधेय पण्यावर्त पर उक्त अनुसूचियों में" के स्थान पर अभिव्यक्ति "और अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के कराधेय पण्यावर्त पर उक्त अनुसूची में" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (2) की, विद्यमान अभिव्यक्ति "अधिनियम की अनुसूची-3 से अनुसूची-6 में" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अधिनियम की अनुसूची-1 में" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-धारा (5) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अनुसूचियों को परिवर्धित या उनसे लोप" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुसूची-1" प्रतिस्थापित की जायेगी और विद्यमान शब्द "अनुसूची" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुसूची-1" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

17. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 8 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी शर्त के बिना या ऐसी किसी भी शर्त के साथ, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी माल के विक्रय या क्रय को, कर से भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से, पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगी।";

(ii) विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी।

18. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की अनुसूचियों का संशोधन.- मूल अधिनियम में विद्यमान अनुसूचियां 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और उनकी प्रविष्टियां, यदि कोई हों, के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां और उनकी प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

अनुसूची-1

[धारा 4 की उप-धारा (5) देखिए]

निम्नलिखित दर पर कराधेय माल

क्र.सं.	**माल का विवरण**	**कर की दर %**	**शर्त, यदि कोई हों**
1	**2**	**3**	**4**
1.	हाई एण्ड लाइट स्पीड डीजल ऑयल	17.30	
2.	पेट्रोल	29.04	
3.	एविएशन टरबाईन फ्यूल (एटीएफ)	26	
4.	पेट्रोलियम क्रूड	5	
5.	तरलीकृत या गैसीय नेचुरल गैस	10	
6.	कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी)	10	
7.	पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी)	10	
8.	देशी शराब	10	
9.	विदेशी शराब, भारत में विनिर्मित विदेशी शराब और बीयर।	30	
10.	माल जो उक्त प्रविष्टियों में उल्लिखित नहीं है।	5.5	

अनुसूची-2
(धारा 8 की उप-धारा (3) देखिए)
व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट

क्र.सं.	व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट	शर्त, यदि कोई हों
1.	संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी घटक एजेन्सियां	
2.	विदेशी राजनयिक मिशन और उनके राजनयिक	
3.	राज्य में 'हब' स्थापित करने वाली एयरलाईन्स को एविएशन टरबाईन फ्यूल	
4.	(i) कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, या (ii) रेजीमेंटल या सेना यूनिटों से संबद्ध यूनिट-रन कैन्टीन	
5.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	
6.	भारतीय रेल्वे	
7.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लि., राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण लि., अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.	
8.	एयरलाईन्स, जो राज्य के ऐसे शहरों को पहली बार जोड़ती हैं, जिनमे हवाई सेवा नहीं है	
9.	प्रशिक्षण के लिए स्थापित रजिस्ट्रीकृत फ्लाईंग क्लब	
10.	राजस्थान में बी एस एफ कैन्टीनें	
11.	आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये रिटेल ऑफ लाइसेंस धारक व्यवहारी	

12.	(i) जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लि. (ii) अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लि.	
13.	राजस्थान में सी आई एस एफ कैन्टीनें	
14.	राजस्थान में सी आर पी एफ कैन्टीनें	
15.	राज्य में हाई एण्ड लाइट स्पीड डीजल आयल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
16.	मैसर्स राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर	
17.	किसी ऐसी एयरलाईन, जो राजस्थान राज्य में और/या से वाणिज्यिक उडानें का संचालन करती है, को एविएशन टरबाईन फ्यूल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
18.	आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये देशी शराब के खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति धारक व्यवहारी	
19.	पेट्रोलियम कंपनियों के खुदरा आउटलेट वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
20.	नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी “रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-उड़ान” में यथा परिभाषित आरसीएस उड़ानों को संचालित करने वाले एयरलाइन आपरेटर को राज्य के भीतर अवस्थित आरसीएस एयरपोर्ट पर एविएशन टरबाईन फ्यूल का विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
21.	विनिर्माताओं और संकर्म ठेकेदारों और खनन में लगे हुओं को, जो राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, को हाई स्पीड डीजल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
22.	मैसर्स राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.	
23.	आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी रिटेल ऑफ अनुज्ञप्तियां नहीं रखने वाले व्यवहारियों/व्यक्तियों को विक्रय की गयी विदेशी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब और बीयर	
24.	राज्य में नागर विमानन निदेशालय द्वारा अनुमोदित किसी फ्लाईंग ट्रेनिंग आर्गनाईजेशन और एयरक्राफ्ट टाईप ट्रेनिंग आर्गनाईजेशन को एविएशन टरबाईन फ्यूल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	

उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 2 के खण्ड (xxxvi) को, "स्टाम्प" की परिभाषा में इलेक्ट्रोनिक रीति के माध्यम से स्टाम्प शुल्क का संदाय करने के अनुसरण में बनाये गये प्रत्येक चिह्न, मुहर या पृष्ठांकन को सम्मिलित करने के लिए, संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 को, बीमा पालिसियों पर, जहां बीमाकृत व्यक्ति का निवास या सम्पत्ति राजस्थान राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य में स्टाम्प शुल्क के संदाय से संबंधित स्पष्ट उपबंध करने के लिए, संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 39 के परंतुक के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) और धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) को, स्टाम्प शुल्क में कमी के पच्चीस प्रतिशत की प्रभार्य न्यूनतम शास्ति की शर्त हटाने के लिए, संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 52-ख की उप-धारा (1) को, विद्यमान अभिव्यक्ति "या तो गलत है या" को हटाने के लिए, संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 58 के खण्ड (घ) को, खराब स्टाम्पों के प्रतिदाय के संबंध में जहां लिखत या तो एक पक्ष या दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित की गयी है, विद्यमान उपबंधों को सुस्पष्ट बनाने के लिए, संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

अभिस्वीकृति, प्रशासन बंधपत्र, आंकना या मूल्यांकन, प्रति या उद्धरण, प्रतिलेख या दूसरी प्रति माल के संबंध में परिदान आदेश, संपार्श्विक, सहायक, अतिरिक्त, प्रतिस्थापित प्रतिभूति या आश्वासन के रूप में बंधक, विनिमय-पत्र या वचन-पत्र विषयक प्रसाक्ष्य, बंधकित संपत्ति का प्रतिहस्तान्तरण, धार्मिक या खैराती प्रयोजन से संबंधित व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण, संपत्ति के व्ययन के बिना पट्टा और न्यास का अभ्यर्पण या न्यास का प्रतिसंहरण की लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की संगणना की पद्धति को सरल करने के साथ दरों को युक्तियुक्त बनाने की दृष्टि से, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के संबंधित अनुच्छेद 1, 2, 8, 22, 23, 26, 37 (ग), 45, 47, 51, 54 और 56 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

शिक्षुता-विलेख की लिखत, विवाह-विछेद लिखत और फसल के बंधक पर स्टाम्प शुल्क से राहत देने की दृष्टि से, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद क्रमशः 9, 27 और 38 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

चूंकि पोत के संबंध में लिखतें जैसे पोत बंधपत्र, भाड़े पर पोत लेने का संविदा, पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति, जहाजी माल बंधपत्र, पोत परिवहन आदेश और माल के लिए वारंट, का राजस्थान राज्य मे विरल प्रयोग होता है इसलिए इन लिखतों पर स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए राजस्थान स्टाम्प शुल्क, 1998 की अनुसूची के संबंधित अनुच्छेदों 15, 19, 46, 49, 53 और 57 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 41 के पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति के टिप्पण से संबंधित विद्यमान उपबंधों को हटाया जाना प्रस्तावित है और साथ ही इसके स्थान पर, भूमि उपयोग परिवर्तन या संपरिवर्तन के आदेश से संबंधित नयी लिखत प्रतिस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 13, को स्थावर और जंगम संपत्तियों से संबंधित पंचाट के लिए स्टाम्प शुल्क की भिन्न-भिन्न दरों को विहित करने के लिए, संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

लिखतों का रद्दकरण और उस पर संदेय स्टाम्प शुल्क को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की दृष्टि से राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 16 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 21, को अन्तरणीय विकास अधिकारों टी डी आर की लिखत, जब वह भू-स्वामी के स्वयं के पक्ष में जारी की जाती है और जब ऐसी टीडीआर आगे अंतरित की जाती है, के लिए स्टाम्प शुल्क की भिन्न-भिन्न दरों को विहित करने के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। अर्जक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के संबंध में उधार के समनुदेशन पर स्टाम्प शुल्क का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 21 में दो नये खण्ड (v) और (vi) को जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 35-क को नये आयुध नियम, 2016 के अनुसार आयुध या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्तियों के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अनुच्छेद 44 को मुख्तारनामें की विभिन्न लिखतों का पुन:वर्गीकरण करने और उस पर स्टाम्प शुल्क की दरें विहित करने के प्रयोजन के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अनुच्छेद 50 को प्रतिभूति बंधपत्र के विभिन्न लिखतों के पुन: वर्गीकरण करने और उस पर स्टाम्प शुल्क की दरें विहित करने के प्रयोजन के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में ''प्रतिभूति रसीद'' की नयी लिखत जोड़ने और उस पर स्टाम्प शुल्क विहित करने के प्रयोजन के लिए नया अनुच्छेद 50-क जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

2. राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962

वर्तमान में, राज्य सरकार के पास विद्युत् शुल्क के संदाय से छूट देने की शक्ति है। तथापि, उपभोक्ता द्वारा संदेय विद्युत् शुल्क पर रिबेट के लिए कोई उपबंध नहीं हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे उपभोक्ताओं, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, द्वारा संदेय विद्युत् शुल्क की पूरी रकम तक की रिबेट अनुज्ञात करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने हेतु राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 में एक नयी धारा 8ख अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

3. राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, राजस्थान राज्य द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था।

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में प्रस्तावित संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करते हैं, अर्थात्:-

विधेयक का खण्ड 12 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खण्ड (61) में उपबंधित परिभाषा "इनपुट सेवा वितरक" को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है। यह धारा 2 के खण्ड (61) में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर जारी बीजकों का समावेश करने से संबंधित है। यह संशोधन प्रतिलोम प्रभार के आधार पर जारी बीजकों से संबंधित इनपुट कर प्रत्यय को अनन्य रुप से इनपुट सेवा वितरक के माध्यम से ही मुख्य कार्यालय से इसकी शाखाओं में वितरित करने हेतु आदेशित करता है।

विधेयक का खण्ड 13 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 में उपबंधित इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति, प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के संबंध में स्पष्टता प्रदान की जा सके। प्रस्तावित संशोधन सेवाओं से संबंधित इनपुट कर प्रत्यय को केवल इनपुट सेवा वितरण प्रणाली के माध्यम से ही करने हेतु आदेशित करता है।

विधेयक का खण्ड 14 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में, नयी धारा 122 क को अन्त:स्थापित करने के लिए ईप्सित है। राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 148 के अधीन यथा अधिसूचित विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली कतिपय विनिर्दिष्ट मशीनों को रजिस्ट्रीकृत नहीं किये जाने पर शास्ति के अधिरोपित करने हेतु धारा 122क को अन्त:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

4. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधिनियमित होने के परिणामस्वरूप, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित माल से संबंधित के सिवाय, निरसित कर दिया गया था। इस कारण, मूल्य परिवर्धित कर छह माल अर्थात् पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट जिसे साधारणत: पेट्रोल के रूप में जाना जाता है, नेचुरल गैस, विमानन टरबाईन ईंधन और मानव उपभोग के लिए एल्कोहोलिक शराब पर उद्ग्रहणीय है। परिणामत:, अनुसूची 1, 3 और 4 के अधीन आयी समस्त प्रविष्टियां निरसित कर दी गयीं थी और अधिनियम से संलग्न अनुसूची 2, 5 और 6 की अधिकांश प्रविष्टियां भी निरसित कर दी गयीं थीं। इसलिए, समस्त अनावश्यक अनुसूचियों, जिनके अधीन इस समय कोई प्रविष्टियां अस्तित्व में नहीं हैं, का हटाया जाना और इनके स्थान पर दो नयी अनुसूचियां प्रतिस्थापित किया जाना समीचीन है।

इस दृष्टि से, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 से संलग्न समस्त विद्यमान अनुसूचियों को, ऐसी अनुसूचियों जिनमें उक्त छह माल से सुसंगत प्रविष्टियां अंतर्विष्ट हों, के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना उचित है। इसके अतिरिक्त, इस कारण से, अधिनियम की धारा 3, 4 और 8 को यथावश्यक परिवर्तन सहित संशोधित किये जाने की आवश्यकता है। इसलिए, अधिनियम की विद्यमान धारा 3, 4, और 8 तथा अधिनियम की अनुसूचियों और उनकी प्रविष्टियों को तदनुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

भजन लाल शर्मा,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अंतर्गत माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश

[सं.प. 12(26)वित्त/कर/2024 दिनांक 10.07.2024

प्रेषक:श्री भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर]

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2024 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित और प्रचालित किये जाने की सिफारिश की है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

2. परिभाषाएं:- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो,-

(i) से (xxxv) XX XX XX XX

(xxxvi) **"स्टाम्प"** से इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी एजेन्सी या व्यक्ति द्वारा कोई चिह्न, मुहर, प्रमाणपत्र या पृष्ठांकन अभिप्रेत है और इसमें कोई आसंजक या छापित स्टाम्प सम्मिलित है;

XX XX XX XX XX XX

3. शुल्क से प्रभार्य लिखतें.- इस अधिनियम के उपबंधों और अनुसूची में अन्तर्विष्ट छूटों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित लिखतें ऐसी रकम के शुल्क से प्रभार्य होंगी जो उस अनुसूची में क्रमशः उनके लिए उचित शुल्क के रूप में उपदर्शित की गयी हैं, अर्थात्,-

(क) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित की गयी न होते हुए, उस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या उसके पश्चात् निष्पादित की गयी है;

(ख) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित नहीं की गयी है, उक्त तारीख को या उसके पश्चात् राज्य के बाहर निष्पादित की जाती है, राज्य में किये गये या किये जाने वाले किसी मामले या बात से संबंधित है और राज्य में प्राप्त की जाती है, या राज्य में स्थित किसी संपत्ति से संबंधित है:

परन्तु कोई भी शुल्क निम्नलिखित की बाबत प्रभार्य न होगा,-

(i) सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके पक्ष में निष्पादित किसी भी लिखत पर, उन दशाओं में, जिनमें इस छूट के अभाव में, सरकार द्वारा ऐसी लिखत की बाबत प्रभार्य शुल्क देने के लिए दायी होती;

(ii) कोई लिखत जो पश्चात्वर्ती अधिनियमों द्वारा यथासंशोधित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 44) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या जलयान के, अथवा किसी पोत या जलयान के किसी भाग, हित, अंश या सम्पत्ति के चाहे आत्यन्तिकतः या बंधक द्वारा या अन्यथा, विक्रय, अन्तरण या अन्य व्ययन के लिए है।

4. से 29. XX XX XX XX

XX XX XX XX

30. शुल्क पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों को लिखत में उपवर्णित किया जाना.-

(1) XX XX XX XX

(2) सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर मूल्यानुसार शुल्क के प्रभार्य स्थावर सम्पत्ति संबंधी लिखतों की दशा में, लिखत में, राजस्व देने वाली भूमि के मामले में भू-राजस्व, अन्य स्थावर सम्पत्ति के मामले में वार्षिक भाटक या सकल आस्तियां, यदि कोई हों, स्थानीय कर, नगरपालिक या अन्य कर, यदि कोई हों जिसके कि उक्त सम्पत्ति अध्यधीन हो, कोई

भी अन्य विशिष्टियां, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायें, पूर्णतः और सही प्रकार से उपवर्णित की जायेगी।

31. से 38. XX XX XX XX

XX XX XX XX

39. सम्यक रूप से स्टाम्पित न की गयी लिखतें साक्ष्य आदि में ग्राह्य हैं.- इस अधिनियम के अधीन शुल्क से प्रभार्य कोई भी लिखत जब तक कि ऐसी लिखत सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है, किसी व्यक्ति द्वारा, जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकार रखता है, किसी भी प्रयोजन के लिए साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी अथवा ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा या किसी लोक अधिकारी द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की जायेगी या वह रजिस्ट्रीकृत या अधिप्रमाणीकृत नहीं की जायेगी:

परन्तु,-

(क) कोई ऐसी लिखत, ऐसे सभी न्यायसंगत अपवादों के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित का संदाय करने पर साक्ष्य में ग्राह्य होगी,-

(i) XX XX XX XX

(ii) जिस कालावधि के दौरान लिखत अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही है, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम पर, प्रतिमास या इसके भाग के लिए दो प्रतिशत की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति, किन्तु ऐसी शास्ति स्टाम्प शुल्क में कमी के दोगुने से अधिक नहीं होगी।

(ख) से (च) XX XX XX

40. से 43. XX XX XX XX

XX XX XX XX

44. परिबद्ध की गयी लिखतों को स्टाम्पित करने की कलक्टर की शक्ति.- (1) जब कलक्टर,-

(क) XX XX XX XX

(ख) धारा 42 की उप-धारा (2) के अधीन उसे भेजी गयी किसी लिखत को प्राप्त करता है, और उस अधिनियम के अधीन के अधीन ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य है, तो वह निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेगा,-

(i) XX XX XX XX

(ii) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य है और सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो वह यह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और साथ-साथ जिस कालावधि के दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम या इसके भाग पर, दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, किन्तु जो स्टाम्प शुल्क में कमी के दोगुने से अधिक नहीं होगी, संदत्त की जाये :

परन्तु जब ऐसी लिखत केवल इस कारण से परिबद्ध की गयी है कि वह धारा 13 या धारा 14 के उल्लंघन में लिखी गयी है, तब यदि कलक्टर ठीक समझे तो वह इस धारा द्वारा विहित की गयी पूरी शास्ति की माफी दे सकेगा।

(2) और (3) XX XX XX XX

45. से 52-क. XX XX XX XX

XX XX XX XX

52-ख. महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा पुनरीक्षण.- (1) महानिरीक्षक स्टाम्प, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, इस अधिनियम के अध्याय 3, 4 और 5 के अधीन किसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और यदि उसका यह विचार हो कि कलक्टर द्वारा उसमें पारित कोई भी आदेश या तो गलत है या राज्य राजस्व के हित के प्रतिकूल है तो वह ऐसी जांच करने या कराने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, और संबंधित पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा या ऐसा निदेश जारी कर सकेगा, जो वह मामले की परिस्थितियों के अधीन उचित समझे।

(2) XX XX XX XX

53. से 57. XX XX XX XX

XX XX XX XX

58. खराब हो गये स्टापों के लिए छूट.- XX XX XX XX XX

(क) से (ग) XX XX XX XX

(घ) उसके किसी पक्षकार द्वारा निष्पादित किसी ऐसी लिखत के लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प, जो,-

(i) से (ix) XX XX XX XX

XX XX XX XX

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

	लिखतों का वर्णन	**उचित स्टाम्प शुल्क**
	1	**2**
1.	**अभिस्वीकृति**, किसी ऋण की रकम या मूल्य में बीस रुपये से अधिक की जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से किसी बही में (जो बैंककार की पास बुक से भिन्न है) या किसी पृथक् कागज के टुकडे पर, साक्ष्य निमित्त लिखी जाये या हस्ताक्षरित की जाये, जूकि ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड दिया गया हो: परन्तु यह तब जब कि ऐसी अभिस्वीकृति में उस ऋण के चुकाने का कोई वचन या ब्याज देने का,	दस रुपये।

	या किसी माल या अन्य संपत्ति का परिदान करने का, अनुबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं है।	
2.	**प्रशासन-बन्धपत्र**, जिसके अन्तर्गत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम सं. 39) की धारा 291, 375 और 376 के, या गवर्नमेंन्ट सेविंग्स बैंक एक्ट , 1873 (1873 का अधिनियम सं. 5) की धारा 6 के अधीन दिया गया कोई बंधपत्र है।	बंधपत्र के मूल्य का दो प्रतिशत।
3. से 4.	XX XX XX	XX
5.	**करार या करार का ज्ञापन-**	
(क)	यदि वह विनिमय-पत्र के विक्रय से संबंधित है;	दस रुपये।
(ख)	यदि वह सरकारी प्रतिभूति के विक्रय से या किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयर के विक्रय से संबंधित है;	दो सौ रुपये अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए,प्रतिभूति या शेयर के मूल्य के प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिए दस रुपये।
(ग)	यदि वह स्थावर सम्पत्ति के क्रय या विक्रय से संबंधित है, जब कब्जा न तो दिया गया हो और न ही देने का करार किया गया हो;	करार या करार के ज्ञापन में यथा-उपवर्णित सम्पत्ति के कुल प्रतिफल का तीन प्रतिशतः परन्तु ऐसे करार पर संदत्त स्टाम्प शुल्क ऐसे करार के अनुसरण में हस्तांतरण-पत्र के निष्पादन के समय हस्तांतरण-पत्र पर प्रभार्य शुल्क की कुल रकम के प्रति बाद में समायोजित किया जायेगा, यदि ऐसा हस्तांतरण-विलेख करार की तारीख से 5 वर्ष के भीतर-भीतर निष्पादित किया जाये।
(घ)	यदि वह किसी बैंक या वित्तीय कम्पनी द्वारा दिये गये किसी उधार या ऋण के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने से संबंधित है;	उधार या ऋण की रकम का 0.25 प्रतिशत।
(ङ)	यदि वह किसी स्थावर सम्पत्ति पर संनिर्माण या उसके विकास या उसके विक्रय या अन्तरण (जिस किसी भी रीति से हो) के लिए किसी संप्रवर्तक या विकासकर्ता को,	वही शुल्क जो सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता हैः

	चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाये, प्राधिकार या शक्ति, देने से संबंधित है;	परन्तु यह कि धारा 51 के उपबंध ऐसे करार या करार के ज्ञापन पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन किसी लिखत पर लागू होते हैं: परन्तु यह और कि यदि उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी सम्पत्ति के संबंध में मुख्तारनामे पर अनुच्छेद 44 के खण्ड (ङङ) के अधीन उचित स्टाम्प शुल्क संदत्त कर दिया गया है तो इस अनुच्छेद के अधीन स्टाम्प शुल्क एक सौ रुपये होगा।
(च)	यदि किसी उत्पाद या कार्यक्रम या इवेण्ट के प्रोत्साहन के लिए उनसे लाभ प्राप्त करने या कारबार करने के आशय से किये गये किसी विज्ञापन से संबंधित है;	न्यूनतम पांच सौ रुपये और अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी संविदा में करार की गयी रकम का 0.25 प्रतिशत।
(चच)	यदि किसी इवेण्ट या फिल्म को टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करने या उसका प्रदर्शन करने के अनन्य अधिकार प्रदान करने से संबंधित है,-	
	(i) यदि करार की गई रकम दस लाख रुपये से अधिक नहीं है;	न्यूनतम 100 रुपये के अध्यधीन रहते हुए, संविदा में करार की गई प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग की रकम पर दो रुपये पचास पैसे।
	(ii) अन्य किसी मामले में,	संविदा में करार की गई रकम पर प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग पर पांच रुपये।
(छ)	XX XX XX	XX
	(क) छूट: XX XX XX	XX

6. से 7.	XX XX XX	XX
8.	**आंकना या मूल्यांकन** जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश के अधीन न किया जाकर अन्यथा किया गया है;-	
	(क) जहां कि रकम 1,000 रुपये से अधिक नहीं है;	वही शुल्क, जो ऐसी रकम के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है। दौ सो रुपये।
	(ख) किसी अन्य मामले में	
	छूटें	
	(क) आंकन या मूल्यांकन जो केवल एक पक्षकार की जानकारी के लिए किया गया है और जो करार या विधि के प्रवर्तन द्वारा पक्षकारों के बीच किसी भी रीति से आबद्धकर नहीं है; अथवा (ख) भाटक के रूप में भूमि स्वामी को दी जाने वाली रकम अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए फसलों को आंकना।	
9.	**शिक्षुता विलेख,** जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा लेख है जो किसी ऐसे शिक्षु, लिपिक या सेवक की सेवा या अध्यापन से संबंधित है जो किसी मास्टर के पास किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन को सीखने के लिए रखा गया है।	चालीस रुपये।
10. से 12.	XX XX XX	XX
13.	**पंचाट** अर्थात् वाद अनुक्रम में न्यायालय के आदेश से अन्यथा किये गये किसी निर्देश में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चय जो विभाजन का निर्देश देने वाला पंचाट नहीं है.-	
	(क) जहां कि उस संपत्ति की, जिससे पंचाट संबंधित है, रकम या मूल्य, जो ऐसे पंचाट में उपवर्णित हो, 1,000 रूपये से अधिक नहीं है,	वही शुल्क, जो उतनी ही रकम के बंधपत्र (सं.14) पर लगता है।
	(ख) किसी अन्य मामले में	एक सौ रुपये।
14.	XX XX XX	XX
15.	**पोत-बन्धपत्र-** अर्थात् कोई लिखत जिसके द्वारा समुद्र-गामी पोत का मास्टर पोत की प्रतिभूति पर धन उधार लेता है जिसके वह पोत का परिक्षण करने में तथा उसकी समुद्र-यात्रा को अग्रसर करने में समर्थ हो सके।	वहीं शुल्क जो उतनी रकम के बन्धपत्र (सं. 14) पर लगता है।
16.	**रद्द कर देने की लिख,** (जिसके अन्तर्गत ऐसी कोई	एक सौ रुपये

	लिखत है जिसके द्वारा पूर्व में निष्पादित की गयी कोई लिखत रद्द कर दी गयी है) यदि यह अनुप्रमाणित है और उसके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है।	
17. और 18.	XX XX XX	XX
19.	**भाड़े पर पोत लेने का संविदा,** अर्थात् (कार्षवाष्प नौका के भाड़े सम्बन्धी करार के सिवाय) कोई लिखत जिसके द्वारा कोई जलयान या उसका कोई विनिर्दिष्ट प्रमुख भाग भाड़े की संविदा करने वाले के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भाड़ा पर दिया जाता है, चाहे उस लिखत में शास्ति खण्ड हो या न हो।	पचास रुपये।
20.	XX XX XX	XX
21.	धारा 2(xi) द्वारा यथा-परिभाषित **हस्तान्तरण-पत्र,-**	
	(i) यदि स्थावर संपत्ति से संबंधित हो।	संपत्ति के बाजार मूल्य का ग्यारह प्रतिशत।
	(ii) यदि जंगम सम्पत्ति से संबंधित हो,	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का आधा (0.5) प्रतिशत।
	(iii) यदि किसी कंपनी के आमेलन, डीमर्जर (Demerger) या पुनर्गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 232,233 या 234 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किये गये आदेश से संबंधित हो।	(i) ऐसे समामेलन, डीमर्जर या पुनगर्ठन के बदले में या अन्यथा जारी या आबंटित या रद्द किये गये शेयर के बाजार मूल्य या ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य, जो भी अधिक हो, में समाविष्ट कुल रकम और संदत्त प्रतिफल की रकम, यदि कोई हो, के चार प्रतिशत के बराबर कोई रकम, या (ii)अंतरक कंपनी की राजस्थान राज्य में स्थित स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के चार प्रतिशत के बराबर कोई रकम, जो भी अधिक हो।
	(iv) यदि वह अन्तरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) से संबंधित है	ऐसे अन्तरणीय विकास अधिकारों के प्रति सम्पत्ति के संबंधित भाग के बाजार मूल्य के समान अन्तरणीय

	विकास अधिकारों के बाजार मूल्य पर पांच प्रतिशत, जो हस्तान्तरण विलेख की विषय वस्तु है; या ऐसे हस्तान्तरण विलेख के लिए प्रतिफल है; जो भी अधिक हो।

छूटः- XX XX XX XX

स्पष्टीकरण: (i) XX XX XX XX

स्पष्टीकरण: (ii) XX XX XX XX

22. **प्रति या उद्धरण,** जिसकी बाबत किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि यह सही प्रति क्या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है,-	
(i) यदि उनका मूल पाठ शुल्क से प्रभार्य नहीं है, या यदि वह शुल्क जो उस पर प्रभार्य है, एक रुपये से अधिक नहीं है:	तीन रुपये।
(ii) किसी अन्य मामलें में	एक सौ रुपये।

छूटें

(क) किसी ऐसे कागज-पत्र की प्रतिलिपि जिसके सम्बन्ध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रुप से यह अपेक्षित है कि वह किसी लोक कार्यालय में या किसी लोक प्रयोजन के निमित्त अभिलेख के लिए उसे बनाये या दे।

(ख) जन्मों, बपतिस्मों, नामकरणों, समर्पणों, विवाहों, विवाह विच्छेदों, मृत्युओं या दफन से सम्बन्धित किसी रजिस्टर की, या उसमें के किसी उद्धरण की, प्रतिलिपि।

23. किसी लिखत का, जो कि शुल्क से प्रभार्य है और जिसके सम्बन्ध में उचित शुल्क दे दिया गया है, **प्रतिलेख या दूसरी प्रति,-**	
(क) यदि वह शुल्क, जो मूल लिखत पर प्रभार्य है, तीन रुपये से अधिक नहीं है;	वही शुल्क जो मूल पर देय है।
(ख) किसी अन्य मामले में	एक सौ रुपये।

छूटें

कृषकों को दिये गये किसी पट्टे का प्रतिलेख, जबकि

	ऐसा पट्टा शुल्क से छूट प्राप्त हो।	
24. से 25.	XX XX XX	XX
26.	**माल की बाबत परिदान-आदेश** स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के संव्यवहार व्यवस्थापन की बाबत परिदान आदेश का अपवर्जित करते हुए, अर्थात् कोई ऐसी लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति को या उसके समनुदेशितियों या लिखत के धारक को, ऐसे किसी भी भाण्डागार में, जहां माल भाटक या भाड़े पर संगृहीत या निक्षिप्त किया जाता है, किसी माल के परिदान के लिए हकदार बनाता है, और ऐसी लिखत उसमें की सम्पत्ति के विक्रय या अन्तरण पर, ऐसे माल के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से हस्तान्तरित की गयी हो, जबकि ऐसे माल का मूल्य बीस रुपये से अधिक हो।	दस रुपये।
27.	**विवाह-विच्छेद की लिखत** अर्थात् कोई ऐसी लिखत जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विवाह का विघटन करता है।	पचास रुपये।
28. से 35.	XX XX XX	XX
35-क.	**आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति,** अर्थात्, आयुध अधिनियम,1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 54) के उपबंधों के अधीन आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण को साक्ष्यित करने वाला दस्तावेज.-	
	(क) निम्नलिखित आयुधों से संबंधित अनुज्ञप्तिः-	
	(i) रिवाल्वर या पिस्तौल	पांच हजार रुपये।
	(ii) राइफल	एक हजार पांच सौ रुपये।
	(iii) डी.बी.बी.एल.शस्त्र	एक हजार रुपये।
	(iv) एस.बी.बी.एल.शस्त्र	एक हजार रुपये।
	(v) एम.एल.शस्त्र	पांच सौ रुपये।
	(ख) आयुध नियम,1962 की अनुसूची 3 में यथा उपवर्णित निम्नलिखित प्ररूपों पर, आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्तिः-	
	(i) प्ररूप 11	दस हजार रुपये।
	(ii) प्ररूप 12	दस हजार रुपये।
	(iii) प्ररूप 13	पांच हजार रुपये।
	(iv) प्ररूप 14	तीन हजार रुपये।
	(ग) निम्नलिखित आयुधों से संबंधित अनुज्ञप्ति का नवीकरणः-	

(i) रिवाल्वर या पिस्तौल	दो हजार रुपये।
(ii) राइफल	सात सौ पचास रुपये।
(iii) डी.बी.बी.एल.शस्त्र	पांच सौ रुपये।
(iv) एस.बी.बी.एल.शस्त्र	पांच सौ रुपये।
(v) एम.एल.शस्त्र	एक सौ रुपये।
(घ) आयुध नियम, 1962 की अनुसूची 3 में यथा उपवर्णित निम्नलिखित प्ररूपों पर, आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति का नवीकरण:-	
(i) प्ररूप 11	तीन हजार रुपये।
(ii) प्ररूप 12	तीन हजार रुपये।
(iii) प्ररूप 13	दो हजार रुपये।
(iv) प्ररूप 14	एक हजार रुपये।
35-ख. से 36. XX XX XX	XX
37. **बन्धक विलेख,** जो हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम् या गिरवी (सं. 6), फसल का बन्धक (सं. 38), प्रतिभूति बंधपत्र (सं. 50) से संबंधित करार है-	
(क) जबकि ऐसे विलेख में समाविष्ट सम्पत्ति के किसी भाग का कब्जा बन्धककर्ता द्वारा दे दिया गया है या दिये जाने के लिए करार किया गया है;	वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(ख) जबकि यथापूर्वोक्त कब्जा नहीं दिया गया है या दिये जाने के लिए करार नहीं किया गया है;	वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के बन्धपत्र (सं. 14) पर लगता है।
स्पष्टीकरण:- ऐसे बन्धककर्ता के बारे में, जो बन्धकदार को बंधकित सम्पत्ति या उसके भाग का भाटक या पट्टा-राशि का संग्रहण करने के लिए मुख्तारनामा देता है, वह समझा जायेगा कि वह इस अनुच्छेद के अर्थ में कब्जा देता है।	
(ग) जब कोई संपार्श्विक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति है, या ऊपर वर्णित प्रयोजन के लिए और आश्वासन के रूप में जहां कि मूल या प्राथमिक प्रतिभूति सम्यक् रूप में स्टाम्पित है,-	
ऐसी प्रत्येक प्रतिभूत राशि के लिए जो 1,000	बारह रुपये

	रूपये से अधिक नहीं है; और 1,000 रूपये से अधिक ऐसे प्रत्येक 1,000 रूपये या उसके भाग के लिए जो प्रतिभूत हो।	बारह रुपये
	छूटें: (1) वे लिखतें, जो सरकार से उधार लेने वाले कृषकों द्वारा या उनके प्रतिभुओं के द्वारा ऐसे उधारें को चुकाने के लिए प्रतिभूति रूप में निष्पादित की गया हैं। (2) आडमान पत्र जो विनिमय-पत्र से संलग्न है।	
38.	**फसल का बन्धक,** जिसके अन्तर्गत कोई ऐसी लिखत है जो, फसल के बन्धक पर दिये गये उधार के चुकाए जाने को प्रतिभूत करने के लिए किसी करार को साक्ष्यित करती है, चाहे बन्धक को समय फसल अस्तित्व में हो या न हो।	दस रुपये
39.	**नोटरी सम्बंधी कार्य,** अर्थात् कोई ऐसी लिखत, पृष्ठांक, चिप्पण, अनुप्रमाणन, प्रमाण-पत्र या प्रविष्टि, जो प्रसाक्ष्य (सं. 45) नहीं है और जो नोटरी पब्लिक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नोटरी पब्लिक के रूप में विधिपूर्वक कार्य करते हुए बनायी गयी है या हस्ताक्षरित की गयी है।	दस रुपये
40.	XX XX XX	XX
41.	**पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति का** टिप्पण। पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति सं.46 भी देखिये। पण्यम या गिरवी, हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम् या गिरवी से सम्बन्धित करार (सं. 6) देखिए।	दस रुपये
42. से 43.	XX XX XX	XX
44.	धारा 2 (XXX) में यथापरिभाषित **मुख्तारनामा** जो परोक्षी नहीं है,-	
	(क) जब वह एक ही संव्यवहार में सम्बन्धित एक या अधिक दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण उपाप्त करने के एक मात्र प्रयोजन के लिए या ऐसी एक या अधिक दस्तावेजों का निष्पादन स्वीकृत करने के लिए निष्पादित किया गया है;	एक सौ रुपये
	(ख) जब वह एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को खण्ड (क) में वर्णित मामले से भिन्न किसी एक ही संव्यवहार में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;	एक सौ रुपये
	(ग) जब वह पांच से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्तः	दो सौ रुपये

और पृथकतः एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;	
(घ) जब वह पांच से अधिक किन्तु दस से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्तः या पृथकतः एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;	दो सौ रुपये
(ङ) जब वह प्रतिफल के लिए दिया गया है तथा अटर्नी को किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत करता है;	वही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम के हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(ङङ) जब स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण या विक्रय करने के लिए मुख्तारनामा प्रतिफल के बिना निम्नलिखित को दिया जाता है,-	
(i) निष्पादी के माता, पिता, भाई, बहिन, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, पौत्र या पौत्री।	दो हजार रुपये।
(ii) कोई भी अन्य व्यक्ति	ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत, जो मुख्तारनामे की विषयवस्तु है: **परन्तु** ऐसे मुख्तारनामे पर संदत्त स्टाम्प शुल्क ऐसे मुख्तारनामे के अनुसरण में हस्तान्तरण-पत्र के निष्पादन के समय बाद में हस्तान्तरण-पत्र पर प्रभार्य शुल्क की कुल रकम के प्रति समायोजित की जायेगी यदि ऐसा हस्तान्तरण विलेख मुख्तारनामे की तारीख से तीन वर्ष के भीतर निष्पादित किया जाता है;
(ङङङ) जब कोई स्थावर सम्पत्ति उस पर सन्निर्माण या उसके विकास या उसके विक्रय या अन्तरण (जिस किसी भी रीति से हो) के लिए संप्रवर्तक या विकासकर्ता को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाये, दी जाये।	वही शुल्क जो सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है: **परन्तु** धारा 51 के उपबंध मुख्तारनामे की ऐसी

		लिखत पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन हस्तांतरण-पत्र पर लागू होते हैं: **परन्तु** यह और कि जब उन्हीं पक्षकारों के बीच और उसी सम्पत्ति के संबंध में किसी करार या करार के ज्ञापन पर अनुच्छेद 5 के खण्ड (ङ) के अधीन उचित स्टाम्प शुल्क संदत्त किया जाये तो इस खण्ड के अधीन प्रभार्य शुल्क एक सौ रुपये होगा।
	(च) अन्य किसी मामले में।	प्राधिकृत किये गये प्रति व्यक्ति के लिए पचास रुपये।
	भली भांति ध्यान दें: "रजिस्ट्रीकरण" पद के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक क्रिया आती है, जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1908 (1908 का अधिनियम सं. 16) के अधीन रजिर्स्टकरण से आनुषंगिक है। **स्पष्टीकरण.-** एक से अधिक व्यक्तियों की बाबत, उस दिशा में जिसमें कि वे एक ही फर्म के हैं, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि वे एक ही व्यक्ति हैं।	
45.	**विनिमय-पत्र या वचन-पत्र विषयक** प्रसाक्ष्य अर्थात् नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गयी ऐसी घोषणा, जो विनिमय - पत्र या वचन-पत्र का अनादर करने का अनुप्रमाणन करती है।	दस रुपये
46.	**पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति** अर्थात् पोत की यात्रा के विवरणों का ऐसा घोषणापत्र, जो हानियों का समायोजन करने या औसतों का परिकलन करने की दृष्टि से उसके द्वारा लिखा गया है और पोत को भाड़े की संविदा पर लेने वालों या परेषितियों द्वारा पोत पर माल उसके न	दस रुपये

	लादने या पोत से माल न उतारने के लिए उसके द्वारा उनके विरूद्ध लिखित रूप में की गयी कोई घोषणा जब ऐसा घोषणापत्र नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित या प्रमाणित किया गया है; पोत के मास्टर द्वारा प्रसाक्ष्य का टिप्पण (सं. 41) भी देखिए।	
47.	**बंधकित सम्पत्ति का प्रतिहस्तान्तरण,-**	
	(क) यदि प्रतिफल जिसके लिए सम्पत्ति बंधक की गयी थी, 1,000 रुपये से अधिक नहीं है;	वही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम, जो वह प्रतिहस्तान्तरण-पत्र में उपवर्णित है, वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
	(ख) अन्य किसी मामले में	एक सौ रुपये।
48. और 49.	XX XX XX	XX
50.	**प्रति-भूति-बंधपत्र या बंधक विलेख** जो किन्हीं पदीय कर्तव्यों के सम्यक् निष्पादन के लिए प्रभिूत के रूप में निष्पादित किया गया है या जो उसके आधार पर प्राप्त धन-राशि या अन्य सम्पत्ति का लेखा-जोखा देने के लिए निष्पादित किया गया है या किसी संविदा के सम्यक् पालन या किसी दायित्व का सम्यक् निर्वहण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूत द्वारा निष्पादित किया गया है। **छूटें:** बंधपत्र या अन्य लिखत जब वह निष्पादित की जाये,- (क) किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ किसी खैराती औषधालय या अस्पताल या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिये गये प्राइवेट चंदों से व्युत्पन्न स्थानीय आय प्रतिमास विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी; (ख) ऐसे कृषकों द्वारा जिन्होंने सरकार से अग्रिम धन लिये हैं या उनके प्रतिभुओं द्वारा ऐसे अग्रिम धन के चुका दिये जाने के लिए प्रति-भूति के रूप में; (ग) सरकार के अधिकारियों द्वारा या उनके प्रतिभुओं द्वारा किसी पद के कर्तव्यों के सम्यक् निष्पादन	दो सौ रुपये से कम न होते हुए, प्रतिभूत रकम का आधा (0.5) प्रतिशत।

को या उनके अपने पद के आधार पर प्राप्त धन राशि या अन्य सम्पत्ति का सम्यक् रूप से लेखा देने को सुनिश्चित करने के लिए।

51. **व्यवस्थापन-**

(क) व्यवस्थापन की लिखत जिसके अन्तर्गत महर विलेख है,-

(i) जहां व्यवस्थापन किसी धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए किया गया है;	वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम या व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है।
(ii) किसी अन्य मामले में,-	(i) स्थावर सम्पत्ति के मामले में, वही शुल्क जो व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के हस्तांतरण-पत्र (सं. 21(i)) पर लगता है; और (ii) अन्य संपत्ति या रकम के मामले में, वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम या व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है: परन्तु जहां व्यवस्थापन के लिए करार व्यवस्थापन की लिखत के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है और ऐसे करार के अनुसरण में व्यवस्थापन लिखत बाद में निष्पादित की गयी है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगा: परन्तु यह और कि जहां व्यवस्थापन की लिखत में व्यवस्थापन के प्रतिसंहरण

		का उपबंध अन्तर्विष्ट हो, वहां रकम या व्यवस्थापित सम्पत्ति का मूल्य, शुल्क के प्रयोजन के लिए ऐसे अवधारित किया जायेगा मानो लिखत में ऐसे कोई उपबंध अन्तर्विष्ट नहीं थे।
	छूटः मुसलमानों के बीच विवाह के अवसर पर या उसके संबंध में, विवाह के पूर्व या उसके पश्चात निष्पादित किया गया महर विलेख।	
	(ख) व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण,-	
	(i) खण्ड (क) के उपखण्ड (i) में वर्णित व्यवस्थापन के संबंध में;	वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम या संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य, जो प्रतिसंहरण लिखत में उपवर्णित है, के बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।
	(ii) खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) में वर्णित व्यवस्थापन के संबंध में।	(i) स्थावर संपत्ति के मामले में, वही शुल्क जो संबंधित स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तांतरण-पत्र (सं. 21 (i)) पर लगता है, और (ii) अन्य संपत्ति या रकम के मामले में, वही शुल्क जो प्रतिसंहरण लिखत में व्यवस्थापित रकम या संबंधित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के प्रतिफल के लिए बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।

52. XX XX XX XX

53.	किसी जलयान के फलक पर माल का प्रवहण करने के वास्ते या माल का प्रवहण करने से सम्बन्धित **पोत परिवहन आदेश।**	दस रुपये।
54.	**पट्टे का अभ्यर्पण**	एक सौ रुपये।
	छूट:	
	पट्टे का अभ्यर्पण जबकि ऐसे पट्टे को शुल्क से छूट दी गयी है।	
55.	XX XX XX	XX
56.	**न्यास-**	
(क)	**की घोषणा,** किसी संपत्ति की या उसके बारे में जबकि, विल से भिन्न किसी लिखित रूप में की गयी हो,-	
	(क) जहां संपत्ति का व्ययन कर दिया गया है,-	
	(i) जहां न्यास किसी धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए बनाया गया है;	वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम या व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है।
	(ii) किसी अन्य मामले में।	(i) स्थावर सम्पत्ति के मामले में, वही शुल्क जो व्यवस्थापित स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के हस्तांतरण-पत्र (सं. 21(i)) पर लगता है; और (ii) अन्य संपत्ति या रकम के मामले में, वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम या व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है।
	(ख) जहां संपत्ति का व्ययन नहीं किया गया है।	वही शुल्क जो रकम या संबंधित सम्पत्ति के मूल्य के बराबर राशि पर बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु साठ रुपये से अधिक नहीं होगा।
(ख)	**का प्रतिसंहरण,** किसी संपत्ति का या उसके बारे में,	वही शुल्क जो रकम या

	जबकि वह विल से भिन्न किसी लिखत द्वारा किया गया हो।	संबंधित सम्पत्ति के मूल्य के बराबर राशि पर बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।
57.	**माल के लिए वारण्ट,** अर्थात् ऐसी कोई लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति के या उसके समनुदेशितियों के या उसके धारक के उस माल में की संपत्ति के हक का साक्ष्य है जो किसी डॉक, भाण्डागार या घाट में या उस पर पड़े हैं, जबकि ऐसी लिखत ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल है, हस्ताक्षरित या प्रमाणित की गयी है।	दस रुपये।

XX XX XX XX

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

2. **परिभाषाएं**:- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो,-

(1) से (60) XX XX XX XX

(61) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्त्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्त्ता को उक्त सेवाओं पर संदत्त केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है;

(62) से (120) XX XX XX XX

XX XX XX XX

(3) से (19) XX XX XX XX

20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति.- (1) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें वितरण किये जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट हो, राज्य कर के प्रत्यय का

राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में वितरण करेगा।

(2) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए प्रत्यय का वितरण कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं को किसी दस्तावेज के लिए, जिसमे ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट हो, जो विहित किये जाएं, प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है;

(ख) वितरण किये गये प्रत्यय की रकम, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी;

(ग) किसी प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गयी इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जायेगा;

(घ) एक से अधिक प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गयी इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जायेगा, जिनके लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है और ऐसा वितरण सुसंगत कालावधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य मे के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के, जिनके लिए ऐसी इनपुट सेवा मानी गयी है, आवर्त का अनुपातिक होगा;

(ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिए मानी गयी इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच वितरण किया जायेगा और ऐसा वितरण, सुसंगत कालावधि के दौरान सभी प्राप्तिकर्ताओं के संकलित आवर्त और जो उक्त सुसंगत कालावधि के दौरान चालू वर्ष में संक्रियात्मक हैं, ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर अनुपातिक होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "सुसंगत कालावधि"-

(i) यदि प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्त्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष होगी;या

(ii) यदि प्रत्यय के कुछ या समस्त प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्त्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो ऐसा उस मास के पहले का, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए समस्त प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध है;

(ख) "प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता" पद से उस इनपुट सेवा वितरक के रूप में समान स्थायी खाता संख्यांक वाला माल या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता अभिप्रेत है;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और ऐसे माल के, जो कराधेय नहीं है, प्रदाय में लगे हुए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "आवर्त" से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 तथा 92क और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और 54 के अधीन उद्गृहीत किसी शुल्क या कर की रकम का घटाकर आवर्त का मूल्य अभिप्रेत है।

XX **XX** **XX** **XX**

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) से लिये गये उद्धरण

XX **XX** **XX** **XX**

1. और 2. XX XX XX XX

XX **XX** **XX** **XX**

3. कर का भार.- (1) XX XX XX XX

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उप-धारा (1) के खण्ड (क) मे विनिर्दिष्ट व्यवहारी या वह व्यवहारी या व्यवहारियों का वर्ग जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, से भिन्न कोई व्यवहारी, जो माल का क्रय राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से करता है और ऐसे माल या ऐसे माल से विनिर्मित माल का विक्रय राज्य के भीतर करता है, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट माल के पण्यावर्त को अपवर्जित करते हुए अपने पण्यावर्त पर, धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन यथा-अधिसूचित दर से कर के संदाय का विकल्प इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए दे सकेगा कि ऐसे व्यवहारी का वार्षिक पण्यावर्त-

(i) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) मे विनिर्दिष्ट व्यवहारी के मामले में पचास लाख रुपये; और

(ii) अन्य व्यवहारियों के मामले में पचहत्तर लाख रुपये,

से अधिक न हो।

(3) से (6) XX XX XX XX

XX **XX** **XX** **XX**

4. कर का उद्ग्रहण और उसकी दर.- (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यवहारी के द्वारा संदेय कर उत्तरवर्ती व्यवहारियों के द्वारा किये गये विक्रयों की आवली में ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर होगा जो विहित किये जायें और अनुसूची-3 से अनुसूची-6 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के कराधेय पण्यावर्त पर उक्त अनुसूचियों में ऐसे प्रत्येक माल के सामने उल्लिखित दर से उद्ग्रहीत किया जायेगा।

(2) प्रत्येक व्यवहारी, जो अपने कारबार के अनुक्रम में छूट प्राप्त माल से भिन्न किसी भी माल का ऐसी परिस्थितियों में क्रय करता है जिनमें ऐसे माल की विक्रय कीमत पर उप-धारा (1) के अधीन कोई कर संदेय नहीं है और उस माल का व्ययन धारा 18 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) से

(छ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जाता है, ऐसे माल की क्रय कीमत पर, इस अधिनियम की अनुसूची-3 से अनुसूची-6 में ऐसे प्रत्येक माल के सामने उल्लिखित दर से कर देने का दायी होगा।

(3) और (4) XX XX XX XX

(5) राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अध्ययीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करे, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से अनुसूचियों को परिवर्धित या उनसे लोप या अन्यथा संशोधित या उपांतरित कर सकेगी या किसी भी माल के संबंध में संदेय कर की दर में कमी कर सकेगी और तत्पश्चात् अनुसूची तदनुसार संशोधित की हुई समझी जायेगी।

(6) और (7) XX XX XX XX

XX XX XX XX

5. से 7. XX XX XX XX

XX XX XX XX

8. कर से छूट.- (1) अनूसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए कर से छूट प्राप्त होगा जो उनमें विनिर्दिष्ट की जायें।

(2) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करे, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से अनुसूची-1 को परिवर्धित या उसमें लोप या अन्यथा संशोधित या उपांतरित कर सकेगी और तत्पश्चात् अनुसूची तदनुसार संशोधित की हुई समझी जायेगी।

(3) से (5) XX XX XX XX

XX XX XX XX

9. से 100. XX XX XX XX

XX XX XX XX

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 से संलग्न अनुसूचियां

अनुसूची-1

(धारा 8 की उप-धारा (1) देखिए)

ऐसा माल जिसका विक्रय या क्रय कर से छूट प्राप्त है

क्र.सं	**माल का विवरण**	**शर्तें, यदि कोई हों**
1	2	3
1. से 162.	XX XX XX	XX

अनुसूची-2
(धारा 8 की उप-धारा (3) देखिए)
व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट

क्र.सं.	व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट	शर्तें
1	2	3
1.	संयुक्त राष्ट्र संगठन और उसकी घटक एजेन्सियां	
2.	विदेशी राजनयिक मिशन और उनके राजनयिक	
3.	राज्य में 'हब' स्थापित करने वाली किसी एयरलाईन को एविएशन टरबाईन फ्यूल।	
4.	(i) कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, या (ii) रेजीमेंटल या मिलिट्री यूनिटों से संबद्ध यूनिट-रन कैन्टीन।	
5.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	
6.	भारतीय रेल्वे।	
7.	XX XX XX	
8.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लि., राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण लि., अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.	
9. से 23.	XX XX XX	
24.	एयरलाईन, जो राज्य के ऐसे शहरों को पहली बार जोड़ती हैं, जिनमें हवाई सेवा नही है।	
25.	प्रशिक्षण के लिये स्थापित रजिस्ट्रीकृत फ्लाईंग क्लब।	
26. से	XX XX XX	

30.		
31.	राजस्थान में बी एस एफ कैन्टीनें।	
32. से 34.	XX XX XX	
35.	आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये रिटेल ऑफ लाइसेंस धारक व्यवहारी।	
36. से 42.	XX XX XX	
43.	(i) जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (ii) अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड	
44.	XX XX XX	
47.	राजस्थान में सी आई एस एफ कैन्टीनें	
48.	राजस्थान में सी आर पी एफ कैन्टीनें	
49. से 51.	XX XX XX	
52.	राज्य में हाई एण्ड लाइट स्पीड डीजल ऑयल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी।	
53. से 63.	XX XX XX	
64.	मैसर्स राजस्थान स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर	
65. और 66.	XX XX XX	
67.	किसी ऐसी एयरलाइन, जो राजस्थान राज्य में और/या से वाणिज्यिक उडानों का संचालन करती है, को एविएशन टरबाईन फ्यूल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी।	

68. से 75.	XX XX XX	
76.	आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये देशी शराब के खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति धारक व्यवहारी।	
77.	पेट्रोलियम कम्पनियों के खुदरा आउटलेट वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
78.	नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-उड़ान में यथा परिभाषित आरसीएस उड़ानों को संचालित करने वाले एयरलाइन आपरेटर को राज्य के भीतर अवस्थित आरसीएस एयरपोर्ट पर एवियेशन टरबाईन फ्यूल का विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
79. और 80.	XX XX XX	
81.	विनिर्माताओं और वर्क ठेकेदारों और खनन में लगे हुए, जो राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं.9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, को हाई स्पीड डीजल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी।	
82.	मैसर्स राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.	

अनुसूची-3
(धारा 4 देखिए)
1 प्रतिशत की दर से कराधेय माल

क्र.सं.	माल का विवरण	कर की दर (%)	शर्तें, यदि कोई हों
1	2	3	4
1. से 8.	XX XX XX		

अनुसूची-4

(धारा 4 देखिए)
5.5 प्रतिशत की दर से कराधेय माल

क्र.सं.	माल का विवरण	कर की दर (%)	शर्तें, यदि कोई हों
1	2	3	4
1. से 228.	XX XX XX		

अनुसूची-5
(धारा 4 देखिए)
14.5 प्रतिशत की दर से कराधेय माल

क्र.सं.	माल का विवरण	कर की दर (%)	शर्तें, यदि कोई हों
1	2	3	4
1. से 28.	XX XX XX		
29.	गैसे, द्रवित या अद्रवित, किसी अन्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप से वस्तुओं के अलावा	14.5	
30. से 77.	XX XX XX		
78.	ऐसा माल जो अधिनियम की किसी भी अन्य अनुसूची या अधिनियम की धारा 6 के अधीन जारी की गयी किसी अधिसूचना के अन्तर्गत नहीं आता है।	14.5	

अनुसूची-6
[धारा 4 (5) देखिए]
विशेष दरों पर कराधेय माल

क्र.सं.	माल का विवरण	कर की दर (%)	शर्तें, यदि कोई हों
1	2	3	4
1.	हाई एण्ड लाईट स्पीड डीजल ऑयल	17.30	
2.	XX XX XX		
3.	विदेशी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब और बीयर:		
	(क) जब आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी रिटेल ऑफ लाइसेंस धारक व्यवहारी को विक्रय की जाये।	30	
	(ख) जब उक्त (क) के अन्तर्गत नहीं आने वाले व्यवहारियों/ व्यक्तियों को विक्रय की जाये।	20	
4.	XX XX XX		
5.	पेट्रोल	29.04	
6.	XX XX XX		
7.	पेट्रोलियम क्रूड	5	
8. से 11.	XX XX XX		
12.	एवियेशन टरबाईन फ्यूल	26	
13. से 23.	XX XX XX		
24.	देशी शराब	10	
25.	द्रवीय या गैसीय स्थिति में प्राकृतिक गैस	10	

XX XX XX XX XX

XX XX XX XX